



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 403]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 20, 2015/ज्येष्ठ 30, 1937

No. 403]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 20, 2015/JYAISTHA 30, 1937

पोत परिवहन मंत्रालय

(दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय)

अधिसूचना

नोएडा, 19 जून, 2015

सा.आ.नि. 506(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रकाशस्तंभ और प्रकाशपोत विभाग (अराजपत्रित समूह “ख” तकनीकी पद) भर्ती नियम, 1996 को उन बातों के सिवाय, अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिकरण से पहले किया गया है या करने का लोप किया जाना है, पोत परिवहन मंत्रालय, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय में ज्येष्ठ रेडियो तकनीशियन और नौचालन सहायक ग्रेड-I के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पोत परिवहन मंत्रालय, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय, ज्येष्ठ रेडियो तकनीशियन और नौचालन सहायक श्रेणी -I (समूह “ख” पद) भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम की उपाबंध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पद के लिए लागू होंगे।

3. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या उनसे संलग्न वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबंध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

कथित पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :-

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्याप्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ज्येष्ठ रेडियो तकनीशियन	30 (2015)* * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसंधितीय	वेतन बैंड - 2, 9300 - 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए जगुपेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक छूट की जा सकती है।) टिप्पण 1.—आयु-सीमा निर्धारित करने के आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई अंतिम तारीख है)।	आवश्यक (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनियस या दूर संचार या इलेक्ट्रॉनियस और संचार इंजीनियरी में डिग्री। (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स या विद्युत संचार अथवा रेडियो इंजीनियरी अथवा दूर संचार या संचार इंजीनियरी में डिप्लोमा सहित वायरलेस ट्रांसमीटर, रिसेवर, एरिचल सिस्टम और सहबद्ध विद्युत संयंत्र के संस्थापन और अनुक्षण में दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1.—अर्हताओं पर छूट कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार है, अन्यथा उम्मीदवारों के सुयोग्य होने की परिस्थिति में, लिखित रूप से छूट दी जा सकती है। टिप्पण 2.—अनुभव संबंधी अर्हताओं पर छूट कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के विषय में लिखित रूप से की दशा में तब छूट की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होगी या नहीं	परिदोषा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की विधि : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
नहीं	दो वर्ष	बीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा,	प्रोन्नति ऐसा रेडियो तकनीशियन जो ग्रेड वेतन 2800 रु. में है और जिसने	समूह 'ख', विभागीय प्रोन्नति समिति/विभागीय पुष्टि समिति	संघ लोक सेवा आयोग से

	जिसके न होने की दशा में अल्प कालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा और अस्सी प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे।	<p>छ: वर्षों की नियमित सेवा पूरी की है।</p> <p>टिप्पणी 1.— विभाग द्वारा प्रदत्त चार सप्ताह के अनिवार्यतः नौचालन सहायता से संबंधित प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने की शर्त पर ही वरिष्ठ रेडियो तकनीशियन के पद पर प्रोन्नति प्रदान की जाएगी।</p> <p>टिप्पणी 2 —जो व्यक्ति सेवानिवृत्त होने वाले हैं उन्हें ऐसे प्रशिक्षण से छूट है।</p> <p>टिप्पणी 3—उन व्यक्तियों पर भी जिन्होंने विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की तारीख से पूर्व प्रोन्नति के लिए प्रशिक्षण पूरा नहीं किया है, इस शर्त के अधीन रहते हुए विचार किया जाएगा कि अपेक्षित प्रशिक्षण विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की तारीख के एक वर्ष के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।</p>	<p>निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-</p> <p>(1) महानिदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय — अध्यक्ष</p> <p>(2) उप महानिदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय — सदस्य</p> <p>(3) अवर सचिव (एस.एल.), पोत परिवहन मंत्रालय —सदस्य</p>	परामर्श आवश्यक नहीं है।
--	--	--	---	-------------------------

		<p>टिप्पणी 4 .- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब, जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक कर ली हो।</p> <p>टिप्पणी 5 .- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले अथवा उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)</p> <p>केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अथवा पब्लिक सेक्टर के उपक्रम अथवा किसी स्वायत्त निकाय के ऐसे अधिकारी :</p> <p>(क)(i) जो मूल काँडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो, अथवा</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल कांडर या विभाग में वेतन बैंड -1, ग्रेड वेतन 2800 रु. में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छ: वर्ष सेवा की है, और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने के लिए विहित शैक्षिक अर्हता है।</p> <p>टिप्पणी 1 .- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 2 .- प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पणी 3 .- प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	
--	--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. नौचालन सहायक, श्रेणी -1	* 63 (2015) * कार्यभार के आधर पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड - 2, 9300 - 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	चयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति अत्यकालिक संविदा सहित	<p>प्रोन्नति :- ऐसा नौचालन सहायक, ग्रेड -II जो वेतन बैंड - 1, ग्रेड वेतन 2800 रु. में है और जिसने इस ग्रेड में छः वर्षों की नियमित सेवा पूरी की हो।</p> <p>टिप्पण 1.- विभाग द्वारा प्रदत्त चार सप्ताह के अनिवार्यतः आज्ञापक सहायता से संबंधित प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने की शर्त के अध्यधीन ही नौचालन सहायक श्रेणी- I के पद पर प्रोन्नति प्रदान की जाएगी।</p> <p>टिप्पणी 2 - जो व्यक्ति सेवानिवृत्त होने वाले हैं उन्हें ऐसे प्रशिक्षण से छूट है।</p> <p>टिप्पणी 3 - उन व्यक्तियों पर भी जिन्होंने विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की तारीख से पूर्व प्रोन्नति के लिए प्रशिक्षण पूरा नहीं किया है, इस शर्त के अधीन रहते हुए विचार किया जाएगा कि अपेक्षित प्रशिक्षण विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की तारीख के एक वर्ष के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।</p> <p>टिप्पण 4.- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 5.- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले अथवा उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (अत्यकालिक संविदा सहित)</p> <p>केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र अथवा पब्लिक सेक्टर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा किसी स्वायत्त निकाय के ऐसे अधिकारी :</p> <p>(क) (i) जो मूल कॉडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों, अथवा</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -1, ग्रेड वेतन 2800 रु. में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छः वर्ष सेवा की है, और</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी :-</p> <p>(1) महानिदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत - अध्यक्ष</p> <p>(2) उप महानिदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय - सदस्य</p> <p>(3) अवर सचिव (एस.एल.), पोत परिवहन मंत्रालय - सदस्य</p>	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

		<p>(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हकता और अनुभव रखते हों :</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स या दूर संचार या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरी में डिप्लोमा।</p> <p>(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या किसी स्वायत्त निकाय में वायरलेस ट्रांसमीटर, रिसेीवर, एरियल सिस्टम और सहबद्ध विद्युत संयंत्र के संस्थापन और अनुसंधान में तीन वर्ष का व्यवहारिक अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1 .- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2 .- प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3 .- प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु- सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 4 .- प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले अथवा उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाम केवल उस पद या उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन, साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>		
--	--	---	--	--

[फा. सं. 3/8/2011- प्रशा.-I]

कैप्टन ए. एम. सूरज, महानिदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत

MINISTRY OF SHIPPING

(Directorate General of Lighthouses and Lightships)

NOTIFICATION

Noida, the 19th June, 2015

G.S.R. 506(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Lighthouses and Lightships (Non-Gazetted Group 'B' Technical Posts), Recruitment Rules, 1996, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Senior Radio Technician and Navigational Assistant Grade-I, in the Directorate General of Lighthouses and Lightships Ministry of Shipping, namely#--

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Shipping, Directorate General of Lighthouses and Lightships, Senior Radio Technician and Navigational Assistant Grade-I, (Group 'B' posts) Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2711 GT/15-2

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (i) of the schedule annexed to these rules.
3. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of posts, their classification, the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. **Disqualification.**— No person,-
 (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may in consultation with the Union Public Service Commission, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Senior Radio Technician.	30* (2015) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-2 Rs.9300-34800 plus grade pay of Rs. 4200.	Selection.	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note #- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	Essential#- (i) Degree in Electronics or Telecommunication or Electronics and Communication Engineering from a recognized university. (ii) Diploma in Electronics or Electrical Communication or Radio Engineering or Telecommunication or Communication Engineering from a recognised institution with two years' experience in installation and maintenance of wireless transmitters, receivers, aerial systems and

						<p>associated power plants.</p> <p>Note 1:- Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2 :- The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reason to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if any, at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.</p>
--	--	--	--	--	--	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
No.	Two years.	Twenty per cent by promotion failing which by deputation including short term contract and eight per cent by direct recruitment.	<p>Promotion :- Radio Technician in the pay band -1 with grade pay of Rs. 2800 with six years' regular service in the grade.</p> <p>Note 1 :- Promotion shall be subject to successful completion of mandatory four weeks training to be imparted by the Department on Aids to Navigation for promotion to the post of Senior Radio Technician.</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee/ Departmental Confirmation Committee</p> <p>(1) Director General of Lighthouses and Lightships —Chairman</p> <p>(2) Deputy Director General, Directorate General of Lighthouses and Lightships —Member</p> <p>(3) Under Secretary (Sailing Light Vessels), Ministry of Shipping —Member</p>	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

			<p>Note 2 :- Those persons who are due to retire will be exempted from such training.</p> <p>Note 3 :- Those persons who have not completed training for promotion before the date of meeting of Departmental Promotion Committee will also be considered subject to condition that the required training will be completed within one year of the date of the said meeting.</p> <p>Note 4 :- Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors, who have already completed such qualifying eligibility service.</p> <p>Note 5 :- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.</p> <p>Deputation (including short term contract):-</p> <p>Officers under the Central or State Government/Union territory Administration or Public Sector Undertaking or any autonomous body :-</p> <p>(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>(ii) with six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band-1 plus grade pay Rs. 2800 or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p>Note 1.- The departmental officers in the feeder cadre who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2.- The period of deputation including period of deputation (short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3. - The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Navigational Assistant, Grade-I.	63* (2015) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-2, Rs. 9300-34800 Plus grade pay of Rs. 4200.	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	By Promotion failing which by deputation including short-term contract.	<p>Promotion: - Navigational Assistant, Grade-II in the pay band-1 with grade pay of Rs. 2800 with six years' regular service in the grade.</p> <p>Note 1 :- Promotion to Navigational Assistant Grade-I shall be subject to successful completion of mandatory training of four week on Aids to</p>	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for promotion) comprising of:- (1) Director General of Lighthouses and Lightships —Chairman	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

2711 GE/15-3

		<p>Navigation to be imparted by department.</p> <p>Note 2 :- Those persons who are due to retire will be exempted from such training.</p> <p>Note 3 :- Those persons who have not completed training for promotion before the date of meeting of Departmental Promotion Committee will also be considered subject to condition that the required training will be completed with one year of the date of the said meeting.</p> <p>Note 4.- Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors, who have already completed such qualifying eligibility service.</p> <p>Note 5 :- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.</p> <p>Deputation (including short-term contract):-</p> <p>Officers under the Central or State Government or Union territory Administration or Public Sector Undertaking or any autonomous body #-</p> <p>(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department ; or</p> <p>(ii) with six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band-1 plus grade pay Rs. 2800 or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(a) possessing the following educational qualifications and experience#-</p> <p>(i) Diploma in Electronics or Telecommunication or Electronics and Communication Engineering from a recognised institution.</p> <p>(ii) Three years' practical experience in installation and maintenance of wireless transmitters, receivers, aerial systems and associated power plants in the Central Government or the</p>	<p>(2) Deputy Director General, Directorate General of Lighthouses and Lightships —Member</p> <p>(3) Under Secretary (SL), Ministry of Shipping —Member</p>	
--	--	--	---	--

			<p>State Government or a Public Sector Undertaking or any autonomous body.</p> <p>Note 1.- The departmental officers in the feeder cadre who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2.- The period of deputation including period of deputation (short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3.- The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 4#-- For the purpose of appointment on deputation or absorption, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>	
--	--	--	--	--

[F. No. 3/8/2011-Admn-I]

Capt. A. M. SUREJ, Director General of Lighthouses and Lightships